रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2541] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2015/अग्रहायण 10, 1937
No. 2541] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2015/AGRAHAYANA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2015

का.आ. 3222(अ).–निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा;

प्रारूप अधिसूचना

और फणसाड वन्यजीव अभ्यारण्य, महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिला में 72° 54′ से 73° 02′ उ0 अक्षांश के बीच और 18° 20′ से पू0 से 18° 28′ पू0 देशांतर के बीच अवस्थित है और 69.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है

और अभ्यारण्य में तेंदुआ, इंडियन जाईंट स्क्विरल, गिद्ध, सी ईगल्स, मलाबार ग्रे हॉर्नबिल, फॉरेस्ट आऊलेट के आश्रय स्थल है और इस वन्यजीव अभ्यारण्य के पश्चिमी छोर के निकटवर्ती तटीय क्षेत्रों में कई पक्षी प्रजातियों एवं अन्य वन्यजीवों तथा ओलिव रिडले टर्टल्स का प्रजनन अभिलिखित किया गया है

और इस वन्यजीव अभ्यारण्य में वनस्पति के रूप में अर्द्ध सदापर्णी, सदापर्णी और नम पर्णपाती वन हैं ।

और इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसके विस्तार और सीमा को इस अधिसूचना के पैरा एक में फणसाड वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और उद्योग या उद्योगों के वर्गों को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में फणसाड वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 100 मीटर से 2.75 किलोमीटर के विस्तार के क्षेत्र को फणसाड वन्यजीव अभ्यारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार फणसाड वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 100 मीटर से 2.75 किलोमीटर क्षेत्र तक है और इसका क्षेत्र 10.96 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ अक्षांश और देशांतर का मानचित्र इस अधिसूचना में संलग्न **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन महाराष्ट्र राज्य के जिला रायगढ़ के मुरुद और रोहा तालुका में 43 ग्रामों तक फैला हुआ है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची के साथ सर्वेक्षण संख्यांक **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना - (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iiii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई ;

(x) लोक निर्माण विभाग ;

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए होंगे।

(5) महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं0 10, 16, 22, 28 और 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टैंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना और नई सड़कों के संनिर्माण ;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ;

(iv) वर्षा जल संचय ; और

(v) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ;

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी

दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को प्रतिषिद्ध किया जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हों ।

(3) **पर्यटन** - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा महाराष्ट्र सरकार के राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर कोई नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे । तथापि, एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुरूप होगा ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी संरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और प्रवृत्त नियमों और इसके अध्यधीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाइयां** - प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले नए उद्योगों का स्थापन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
1	2	3
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के

		मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिचाई परियोजना का स्थापन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान, गर्म वायु गुबारों का राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बने रहेंगे जब तक कि प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध न हों ।
विनियमित क्रियाकलाप		
(10)	होटलों और रिसोर्टों का स्थापन ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे । तथापि, पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर से परे और उसकी सीमा तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग-निर्देशों के अनुरूप होंगे।
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा ; परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसमें पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी सम्मिलित हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर विनियमित किए जाएंगे और न्यूनतम रखा जाएगा । (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार संचालित होंगे ।
(12)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके

		अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे; (ग) आरक्षित वन और संरक्षित वन की दशा में निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन किया किया जाएगा ।
(13)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए सतही जल और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही जल या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(14)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	(i) भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना । (ii) नए उच्च तनाव संचरण तारों को बिछाना फणसाड वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 500 मीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
(15)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(16)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(17)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित ।
(18)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(19)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनचक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(21)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
(23)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.एफ.पी.)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	वायु और यानिय प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	दुकानदारों द्वारा पोलिथीन थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
अनुमत क्रियाकिलाप		
(27)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, एक्वाकल्चर और मछली पालन ।	तथापि, इस तरह के क्रियाकलापों का अत्यधिक विस्तार महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
(28)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(29)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(30)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।

(31)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(32)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर रोशनी आदि को बढ़ावा दिया जाए।

5. मानीटरी समिति - (1) केंद्रीय सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) कलक्टर, जिला रायगढ़ - अध्यक्ष

(ख) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य

(ग) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(घ) क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य

(ङ) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार - सदस्य

(vi) वन संरक्षक, वन्यजीव खंड, थाने – सदस्य सचिव

6. निर्देश शर्तें -

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध III** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/16/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध ।

फणसाड वन्य जीव अभ्यारण्य का पारि-संवेदी जोन

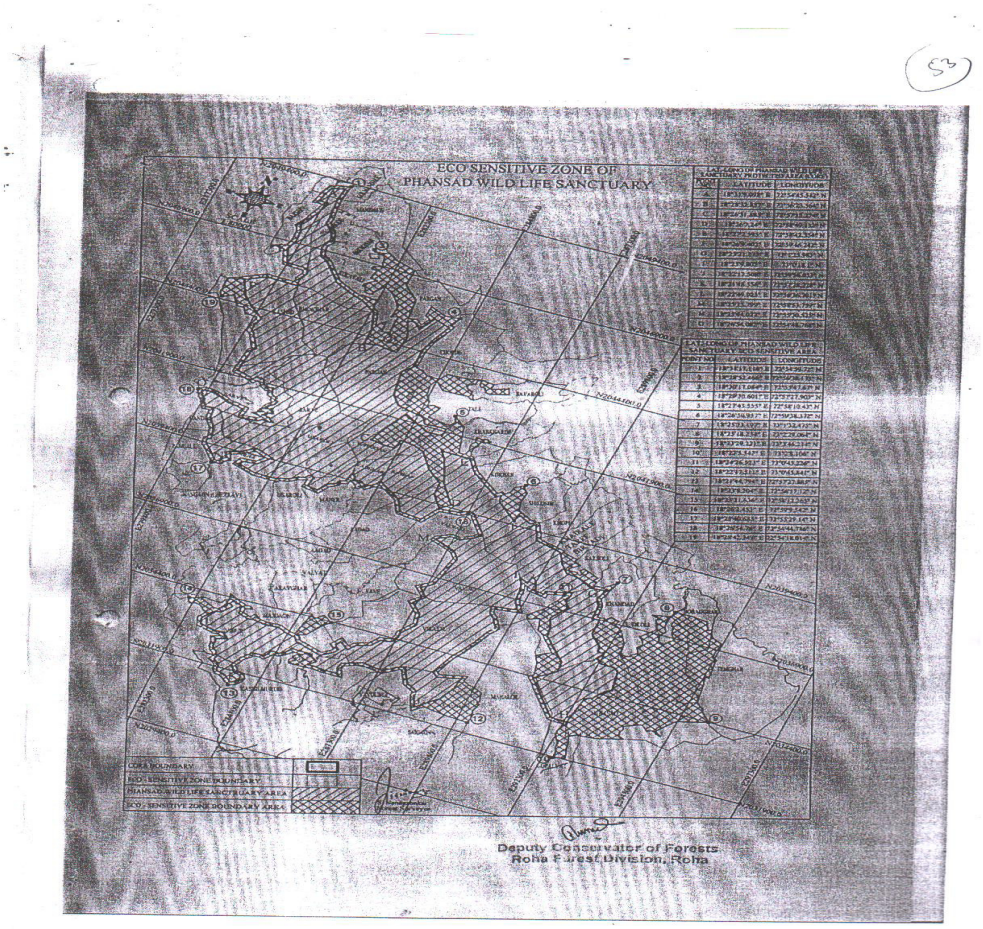

उपाबंध ॥

प्रस्तावित पारि-संवेदी जोन के अंतर्गत आने-वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	तालुका	गांव के नाम	सर्वे/जीएटी नं.
1	मुरुद	बरशिव	150
			149
			152
			151
			153
			21
			20
			19
			18
			14
			12
			13
			16
			15
			11
			10
			9
			8
			7
			6
			23
			34
			36
			40
			64
			39
			90
			64
			62
			71
2	मुरुद	भोइघर (कोलावली)	164
			143
			165
			176
			178
			134
			135
			136
			137
			179
			285
			133
			268
			269
			267
			254
			253
			255

क्र.सं.	तालुका	गांव के नाम	सर्वे/जीएटी नं.
			254
			256
			257
			239
			260
			259
			258
			233
			234
			236
			235
			नदी
			186
			194
			195
			196
			197
			197
			196
			194
			201
3	मुरुद	टेम्भोदे	49
			44
			42
			41
			38
			35
			34
			33
			29
			28
			27
			69
			67
			56
			57
			55
			54
			65
			53
			66
4	मुरुद	परगन	9
			10
			11
			6
			1
			विस्तारित
			2
			3

क्र.सं.	तालुका	गांव के नाम	सर्वे/जीएटी नं.
5	मुरुद	चोरधे	327
			326
			296
			295
			272
6	मुरुद	कराम्बेली	5,6,7,8
			4
			3
			2
7	मुरुद	टेल	40
			39
			35
8	रोहा	खर खरदी	180
			181
			179
			160
9	मुरुद	दस्ते (सुपेगाओं)	144
			185
			143
			141
			125
			107
			140
			139
			138
			137
			135
			136
			134
			107
			106
			122
			108
			109
			117
			87
			95
			99
			101
			100
			8
			1
			गोठां
			गोठां
			2
			81
			69
			77

क्र.सं.	तालुका	गांव के नाम	सर्वे/जीएटी नं.
			78
10	रोहा	कोकबन	77
			78
			79
			334
			335
			337
			332
			333
			341
			331
			326
			330
			329
			328
			327
			314
			313
			312
			311
			310
			239
			236
			235
			236
			235
			357
			241
			234
11	रोहा	शिलोशी	358
			356
			355
			354
			353
			356
			गोठां
			351
			311
			350
			347
			348
12	रोहा	खोपे	243
			संख्या रहित संलग्न क्षेत्र
			236
			232
			237
			235
13	रोहा	खैराले तर्फे बिरवादी	39

क्र.सं.	तालुका	गांव के नाम	सर्वे/जीएटी नं.
			38
			40
			41
			42
			47
			48
			119
			50
			52
			53
			54
			55
			56
			58
			25
			57
			26
			27
			संख्या रहित
			संख्या रहित
14	रोहा	सरसोली	130
			133
			131
			संख्या रहित संलग्न क्षेत्र
			116
			129
			128
			116
			117
			127
			126
15	रोहा	खण्डार	वन
			165
			164
			176
			वन
			144
			143
			142
			132
			131
			130
			129
			128
			127
			126
			116
			117
			116
			125

क्र.सं.	तालुका	गांव के नाम	सर्वे/जीएटी नं.
			124
			123
			122
			120
			119
16	रोहा	महासदी	6
			3
			5
			नदी
			7
			वन
			वन
17	रोहा	गोपालवत	6
			5
			12
18	मुरुद	महलोरे	36
			31
19	मुरुद	सेगाओं	94/1
			176
			175
			174
			167
			173
			168
20	मुरुद	ववडुंगी	144
			148
			147
			146
			143
			142
			132
21	मुरुद	तेलवाड़े	50
			48
			54
			38
			40
			44
			46
22	मुरुद	पीला (विहर)	352
			344
			345
			343

क्र.सं.	तालुका	गांव के नाम	सर्वे/जीएटी नं.
			342
			338
			340
			337
			329
			331
			330
23	मुरुद	कसबे मुरुद	213
			214
			212
			209
			211
			208
			207
			203
			222
			211
			221
			223
			संख्या रहित संलग्न क्षेत्र
			225
			170
			171
			226
			224
			223
			202
			201
			200
			संख्या रहित
24	मुरुद	विहर	307
			306
			305
			302
			संख्या रहित
			267
			271
			272
			300
			299
			293
			298
			294
			295
			296
			18
			नदी
			17
			19

क्र.सं.	तालुका	गांव के नाम	सर्वे/जीएटी नं.
			15
			20
			21
			34
			22
			24
			23
			29
			30
			27
			26
			28
25	मुरुद	मजगाऊँ	252
			255
			253
			257
			258
			268
			267
			269
			270
			271
			274
			275
			273
			297
			318
			572
			571
			574
			578
			570
			573
			593
26	मुरुद	वेलासते	208
			207
			203
			202
			201
			252
			129
			130
			131
			131
			river
			132
			131
			128
			143
			144
			148

क्र.सं.	तालुका	गांव के नाम	सर्वे/जीएटी नं.
27	मुरुद	वांद्रे	149
			152
			193
			192
			गोठां
			185
			181
			180
28	मुरुद	वलवती	159
			163
			164
			159
29	मुरुद	आदि	317
			298
			294
			302
			311
			309
			310
			312
			307
			313
			315
			314
30	मुरुद	कषप (वड़घर)	22
			25
			24
			26
			28
			27
			23
31	मुरुद	वड़घर	29
			30
			31
			18
			32
			33
			10
			9
32	मुरुद	मनेर (उसरौली)	262
			260
			259
			258
			261
			264
			267

क्र.सं.	तालुका	गांव के नाम	सर्वे/जीएटी नं.
			268
			269
			270
			365
			364
			366
			367
			256
33	मुरुद	उसरौली	245
			252
			253
			251
			250
			147
			249
			249
			248
			250
			246
			245
			244
			243
			242
			236
			216
			215
			214
			211
			213
			218
			219
			207
			220
34	मुरुद	बुढोली	100
			95
			94
			93
			96
			97
			98
35	मुरुद	आदि	47
			48
			46
36	मुरुद	पंगले	31
			30
			48
			51

क्र.सं.	तालुका	गांव के नाम	सर्वे/जीएटी नं.
37	मुरुद	डंडे	3
			29
			28
			4 प्वाइंट
			25
			26
			20
			17
			16
38	मुरुद	सर्वे	178
			160 प्वाइंट
			90
			139
			139
			177
			175
			175
			151
			173
			160
			150
			167
			168
			166
			165
			163
			164
			96
			97
			158
			94
			93
			92
			91
			89 बी
			89 ए
			88 ए
			88 बी
			103
			104
			संख्या रहित
			संख्या रहित
			87 ए
			87 बी
			85
			84
			83
			73

क्र.सं.	तालुका	गांव के नाम	सर्वे/जीएटी नं.
			72
			74
			83
			82
			80
			76
			75
			77
			79
			66
			67
			69
			68
			58
			56
			57
			50
			49 b
			49 a
			40
			49 c
			47
			51
			36
			37
			38
			35
			34
			33
			32
			31
			30
			29
			1
39	मुरुद	चिकनी	81
			73
			71
			59
40	मुरुद	काशिद	8
			45
			56
			42
			41
			40
			38
			37
41	मुरुद	कोलमण्डले	44
			54
			47
			46

क्र.सं.	तालुका	गांव के नाम	सर्वे/जीएटी नं.
			43 प्वाइंट
			43 प्वाइंट. 2
			41
			42
			43 प्वाइंट. ए
42	मुरुद	मंडले	संख्या रहित
43	मुरुद	नांदगाओं (खेतराव)	

उपाबंध III

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान : पारि-संवेदी जोन मानीटरी समिति -

1. बैठकों की संख्या और तारीख,
2. बैठकों के कार्यवृत्त मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध के रूप में संलग्न करें,
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति,
4. भूमि रिकार्ड के पृष्ठ पर त्रुटि के शुद्धीकरण हेतु निपटाए गए मामलों का सार,
5. ब्यौरे अनुबंध के रूप में संलग्न किए गए,
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना ; 2006 के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यकलापों हेतु संवीक्षा किए गए मामलों का सार ब्यौरा पृथक अनुबंध के रूप में संलग्न किए गए,
7. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना ; 2006 के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए कार्यकलापों हेतु संवीक्षा किए गए मामलों का सार,
8. ब्यौरा पृथक संलग्न के रूप में संलग्न किया,
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अंतर्गत दर्ज की गई शिकायतों का सार,
10. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2015

S.O. 3222(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in;

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, the Phansad Wildlife Sanctuary is situated in the Raigad District of Maharashtra State between 72° 54' to 73° 02' North latitude and between 18° 20' to 18° 28' East longitude and is spread across 69.79 square kilometers;

AND WHEREAS, the Sanctuary harbours Leopard, Indian Giant Squirrel, Vultures, Sea Eagles, Malabar Grey Hornbill, Forest Owlet and host of birds species and other Wild animals and a number of Olive Ridley Turtles breeding have been recorded in the adjacent coastal areas along the western side of the Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, the flora of Wildlife Sanctuary is represented by Semi Evergreen, Evergreen, and Moist deciduous Forests;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundary of which is specified in paragraph one of this notification around the Phansad Wildlife Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 100 meters to 2.75 kilometers from the boundary of Phansad Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as the Phansad Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 10.96 square kilometre with an extent varying from 100 meters to 2.75 kilometers from the boundary of Phansad Wildlife Sanctuary.

(2) The map of the eco-sensitive zone along with latitude and longitude is appended to this notification as **Annexure I.**

(3) The Eco-sensitive Zone is spread across 43 villages in Murud and Roha Taluka of Raigad District in Maharashtra State.

(4) The list of the villages falling within Eco-sensitive Zone along with survey numbers is appended as **Annexure II.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Maharashtra State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation;

(x) Public Works Department;

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities against serial item numbers 10, 16, 22, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.

(iii) small scale industries not causing pollution,

(iv) rainwater harvesting, and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas in such a manner as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Maharashtra in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Maharashtra.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) no new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities would in conformity and Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement the rules and regulations under the relevant Acts and made thereunder.

(12) **Industrial Units** (a) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue unless prohibited under any law for the time being force.
Regulated Activities		
10	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities would in conformity and Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
11	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(i) Promote underground cabling. (ii) The laying of new high tension transmission wires shall not be permitted within 500 metre from the boundary of the Phansad Wildlife Sanctuary.
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.

17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
24	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
25	Use of polythene bags by shopkeepers.	Regulated under applicable laws.
26	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
	Permitted Activities	
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	However, excessive expansion of some of these activities should be regulated as per, master plan.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted.

5. Monitoring Committee:- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(a)	The Collector of Raigad District:	Chairman
(b)	One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case:	Member
(c)	one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case:	Member
(d)	The Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board.	Member
(e)	The Senior Town Planner of the area.	Member
(f)	The Conservator of Forest, Wildlife Division, Thane .	Member Secretary

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure III**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F. No.25/16/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Map of proposed Eco-sensitive Zone along with coordinates

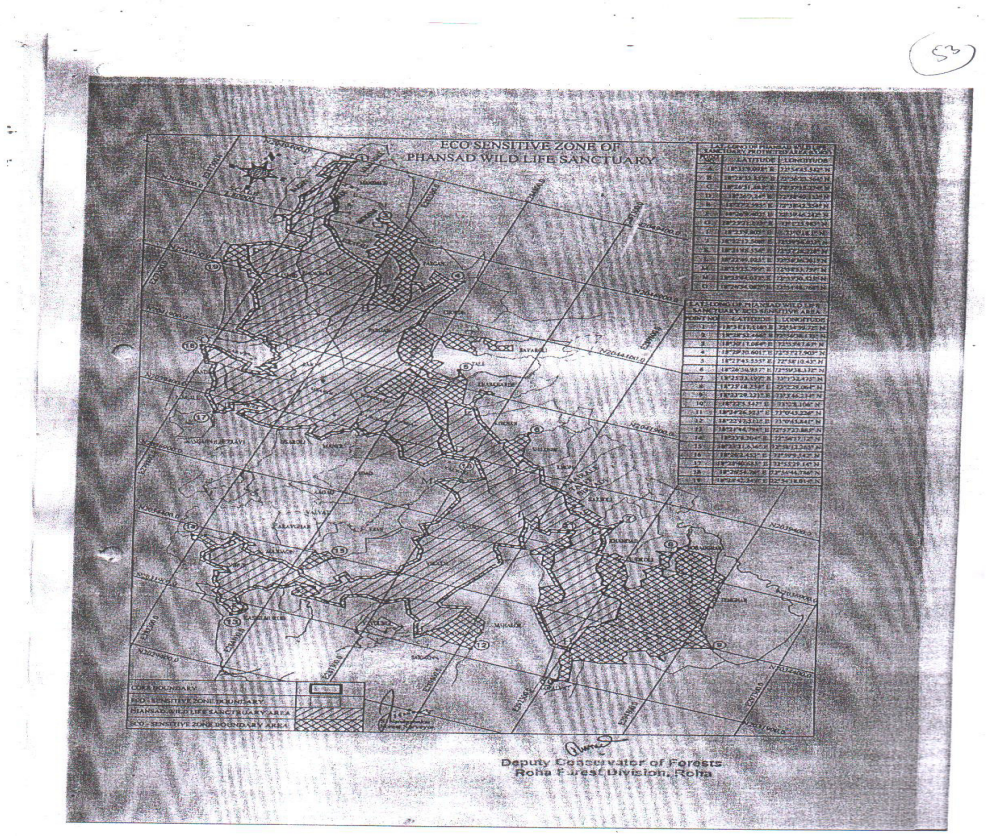

ANNEXURE II

List of Villages falling within the proposed Eco sensitive Zone

Sr. No. (1)	Taluka (2)	Name of Village (3)	Survey/Gat No (4)
1	Murud	Barshiv	150
			149
			152
			151
			153
			21
			20
			19
			18
			14
			12
			13
			16
			15
			11
			10
			9
			8
			7
			6
			23
			34
			36
			40
			64
			39
			90
			64
			62
			71
2	Murud	Bhoighar (Kolavali)	164
			143
			165
			176
			178
			134
			135
			136
			137
			179
			285
			133
			268
			269
			267
			254
			253

Sr. No.	Taluka	Name of Village	Survey/Gat No
			255
			254
			256
			257
			239
			260
			259
			258
			233
			234
			236
			235
			River
			186
			194
			195
			196
			197
			197
			196
			194
			201
3	Murud	Tembhode	49
			44
			42
			41
			38
			35
			34
			33
			29
			28
			27
			69
			67
			56
			57
			55
			54
			65
			53
			66
4	Murud	Pargan	9
			10
			11
			6
			1
			Vistarit
			2
			3

Sr. No.	Taluka	Name of Village	Survey/Gat No
5	Murud	Chordhe	327
			326
			296
			295
			272
6	Murud	Karambeli	5,6,7,8
			4
			3
			2
7	Murud	Tale	40
			39
			35
8	Roha	Khar khardi	180
			181
			179
			160
9	Murud	Deste (Supegaon)	144
			185
			143
			141
			125
			107
			140
			139
			138
			137
			135
			136
			134
			107
			106
			122
			108
			109
			117
			87
			95
			99
			101
			100
			8
			1
			Gaothan
			Gaothan
			2
			81
			69
			77
			78

Sr. No.	Taluka	Name of Village	Survey/Gat No
10	Roha	Kokban	77
			78
			79
			334
			335
			337
			332
			333
			341
			331
			326
			330
			329
			328
			327
			314
			313
			312
			311
			310
			239
			236
			235
			236
			235
			357
			241
			234
11	Roha	Shiloshi	358
			356
			355
			354
			353
			356
			Gaothan
			351
			311
			350
			347
			348
12	Roha	Khope	243
			adjoning w/o No.
			236
			232
			237
			235
13	Roha	Khairale Tarfe Birwadi	39
			38
			40
			41
			42

Sr. No.	Taluka	Name of Village	Survey/Gat No
			47
			48
			119
			50
			52
			53
			54
			55
			56
			58
			25
			57
			26
			27
			without No.
			without No.
14	Roha	Sarsoli	130
			133
			131
			adjoning without No.
			116
			129
			128
			116
			117
			127
			126
15	Roha	Khandar	Forest
			165
			164
			176
			Forest
			144
			143
			142
			132
			131
			130
			129
			128
			127
			126
			116
			117
			116
			125
			124
			123
			122
			120
			119

Sr. No.	Taluka	Name of Village	Survey/Gat No
16	Roha	Mhasadi	6
			3
			5
			river
			7
			forest
			forest
17	Roha	Gopalwat	6
			5
			12
18	Murud	Mahalore	36
			31
19	Murud	Saygaon	94/1
			176
			175
			174
			167
			173
			168
20	Murud	Wavdungi	144
			148
			147
			146
			143
			142
			132
21	Murud	Telawade	50
			48
			54
			38
			40
			44
			46
22	Murud	Pale (Vihur)	352
			344
			345
			343
			342
			338
			340
			337
			329
			331
			330
23	Murud	Kasabe Murud	213
			214
			212
			209
			211
			208

Sr. No.	Taluka	Name of Village	Survey/Gat No
			207
			203
			222
			211
			221
			223
			adjoining without No.
			225
			170
			171
			226
			224
			223
			202
			201
			200
			without No.
24	Murud	Vihur	307
			306
			305
			302
			without No.
			267
			271
			272
			300
			299
			293
			298
			294
			295
			296
			18
			river
			17
			19
			15
			20
			21
			34
			22
			24
			23
			29
			30
			27
			26
			28
25	Murud	Majgaon	252
			255
			253

Sr. No.	Taluka	Name of Village	Survey/Gat No
			257
			258
			268
			267
			269
			270
			271
			274
			275
			273
			297
			318
			572
			571
			574
			578
			570
			573
			593
26	Murud	Velaste	208
			207
			203
			202
			201
			252
			129
			130
			131
			131
			river
			132
			131
			128
			143
			144
			148
27	Murud	Vandre	149
			152
			193
			192
			Gaothan
			185
			181
			180
28	Murud	Walvati	159
			163
			164
			159
29	Murud	Adad	317
			298

Sr. No.	Taluka	Name of Village	Survey/Gat No
			294
			302
			311
			309
			310
			312
			307
			313
			315
			314
30	Murud	Kashap (Vadghar)	22
			25
			24
			26
			28
			27
			23
31	Murud	Vadghar	29
			30
			31
			18
			32
			33
			10
			9
32	Murud	Maner(Usaroli)	262
			260
			259
			258
			261
			264
			267
			268
			269
			270
			365
			364
			366
			367
			256
33	Murud	Usaroli	245
			252
			253
			251
			250
			147
			249
			249
			248
			250
			246
			245
			244
			243

Sr. No.	Taluka	Name of Village	Survey/Gat No
			242
			236
			216
			215
			214
			211
			213
			218
			219
			207
			220
34	Murud	Budholi	100
			95
			94
			93
			96
			97
			98
35	Murud	Aadi	47
			48
			46
36	Murud	Pangale	31
			30
			48
			51
37	Murud	Dande	3
			29
			28
			4 pt
			25
			26
			20
			17
			16
38	Murud	Sarve	178
			160 pt
			90
			139
			139
			177
			175
			175
			151
			173
			160
			150
			167
			168
			166
			165
			163
			164
			96
			97

Sr. No.	Taluka	Name of Village	Survey/Gat No
			158
			94
			93
			92
			91
			89 b
			89 a
			88 a
			88 b
			103
			104
			without No.
			without No.
			87 a
			87 b
			85
			84
			83
			73
			72
			74
			83
			82
			80
			76
			75
			77
			79
			66
			67
			69
			68
			58
			56
			57
			50
			49 b
			49 a
			40
			49 c
			47
			51
			36
			37
			38
			35
			34
			33
			32
			31
			30
			29
			1
39	Murud	Chikani	81
			73

Sr. No.	Taluka	Name of Village	Survey/Gat No
			71
			59
40	Murud	Kashid	8
			45
			56
			42
			41
			40
			38
			37
41	Murud	Kolmandale	44
			54
			47
			46
			43 pt
			43 pt. 2
			41
			42
			43 pt. a
42	Murud	Mandale	without No.
43	Murud	Nandgaon (Khetrav)	

ANNEXURE III

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.